AMOGHVARTA
ISSN : 2583-3189

भारत में एक देश, एक चुनाव की संभावना और चुनौतियाँ

ORIGINAL ARTICLE



Authors
डॉ. योगेन्द्र कुमार धुर्वे
सहायक प्राध्यापक
मिथिलेश साहू
शोधार्थी
राजनीति विज्ञान
शासकीय महाविद्यालय
गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव वर्तमान में अलग–अलग समय पर आयोजित होते हैं। परिणामस्वरूप देश में लगभग प्रत्येक वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनावी प्रक्रिया चलती रहती है। इसी संदर्भ में "एक देश, एक चुनाव" अर्थात् लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने की अवधारणा महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं प्रशासनिक सुधार के रूप में सामने आई है। इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में एक साथ चुनाव की संभावनाओं तथा उससे जुड़ी संवैधानिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय और संघीय चुनौतियों का विश्लेषण करना है। अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। इसमें भारत निर्वाचन आयोग के चुनावी आँकड़े, 2024 का भारत निर्वाचन आयोग एटलस, विधि आयोग की रिपोर्ट, उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट, संसद के दस्तावेज के विश्लेषण का उपयोग किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 1951–52 के प्रथम लोकसभा चुनाव में लगभग 17.32 करोड़ निर्वाचक थे, जबकि 2024 में निर्वाचकों की संख्या बढ़कर लगभग 97.98 करोड़ हो गई। इसी अवधि में मतदान केंद्रों की संख्या भी बहुत अधिक बढ़ी। 2009 में 71.70 करोड़ निर्वाचकों में से 41.73 करोड़ मत पड़े, जबकि 2024 में 97.98 करोड़ निर्वाचकों में से 64.64 करोड़ मत पड़े। इससे भारतीय चुनाव व्यवस्था के विशाल प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिक स्वरूप का पता चलता है। दूसरी ओर, एक साथ चुनाव से चुनावी व्यय, प्रशासनिक संसाधनों के बार–बार उपयोग तथा आदर्श आचार संहिता से होने वाले व्यवधान को कम करने की संभावना व्यक्त की जाती है, परंतु इसके लिए संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन, केंद्र–राज्य संबंधों में संतुलन, समयपूर्व विधानसभा विघटन की समस्या तथा क्षेत्रीय दलों और राज्यीय मुद्दों की स्वतंत्रता जैसे प्रश्नों का समाधान आवश्यक होगा। अध्ययन का निष्कर्ष है कि एक देश, एक चुनाव की व्यवहार्यता केवल चुनावों को एक तारीख पर कराने का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह भारत की संघीय एवं संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यापक संस्थागत पुनर्संरचना का विषय है।

मुख्य शब्द

एक देश एक चुनाव, निर्वाचन सुधार, चुनावी व्यय, संघवाद, निर्वाचन आयोग.

प्रस्तावना

भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला नियमित एवं स्वतंत्र चुनाव हैं। संविधान ने संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था की है। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रारंभिक चार आम चुनावों के दौरान लोकसभा तथा अधिकांश राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। 1951–52, 1957, 1962 तथा 1967 में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय चुनावों में काफी हद तक समकालिकता थी किंतु 1968 और 1969 में कुछ राज्य विधानसभाओं के समयपूर्व विघटन

तथा 1970 में चौथी लोकसभा के समयपूर्व विघटन के बाद चुनावी चक्र अलग–अलग हो गया। इसके बाद लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग–अलग समय पर होने लगे। वर्तमान व्यवस्था में अलग–अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव अलग–अलग वर्षों में होते हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा का सामान्य चुनाव भी निर्धारित अवधि के अनुसार होता है। इससे निर्वाचन आयोग, प्रशासन, सुरक्षा बल, सरकारी कर्मचारी तथा राजनीतिक दलों को बार–बार चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना पड़ता है। विधि आयोग और विभिन्न संसदीय समितियों ने भी चुनावों की बारंबारता, चुनावी खर्च तथा प्रशासनिक संसाधनों के उपयोग को चुनाव सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न माना है।

इसी पृष्ठभूमि में "एक देश, एक चुनाव" की अवधारणा पुनः राष्ट्रीय विमर्श का महत्वपूर्ण विषय बनी। सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। समिति ने एक साथ चुनावों की व्यवहार्यता, वित्तीय प्रभाव, संवैधानिक एवं कानूनी ढाँचे तथा क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों पर विचार किया। समिति की रिपोर्ट में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने तथा उसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने का सुझाव दिया गया।

अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. भारत में एक देश, एक चुनाव की अवधारणा का ऐतिहासिक अध्ययन करना।
2. लोकसभा चुनावों से संबंधित द्वितीयक आँकड़ों के माध्यम से भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के विस्तार का विश्लेषण करना।
3. एक साथ चुनाव के संभावित प्रशासनिक एवं वित्तीय लाभों का अध्ययन करना।
4. एक देश, एक चुनाव से संबंधित संवैधानिक एवं कानूनी चुनौतियों की पहचान करना।
5. भारतीय संघवाद एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर संभावित प्रभाव का अध्ययन करना।
6. एक देश, एक चुनाव के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध–पद्धति

यह अध्ययन द्वितीयक आँकडो पर आधारित वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन है। इसमें प्राथमिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। अध्ययन के लिए निम्न स्रोतों का उपयोग किया गया है:

1. भारत निर्वाचन आयोग के सांख्यिकीय रिपोर्ट।
2. भारत निर्वाचन आयोग, एटलस लोकसभा चुनाव 2024।
3. भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन सांख्यिकी।
4. विधि आयोग की 170 वीं रिपोर्ट।
5. विधि आयोग की 255 वीं रिपोर्ट।
6. एक देश, एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट।
7. संसद के आधिकारिक दस्तावेज।
8. 129 वाँ संविधान संशोधन विधेयक, 2024।
9. पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च।

भारत में चुनावी व्यवस्था का ऐतिहासिक परिपेक्ष्य

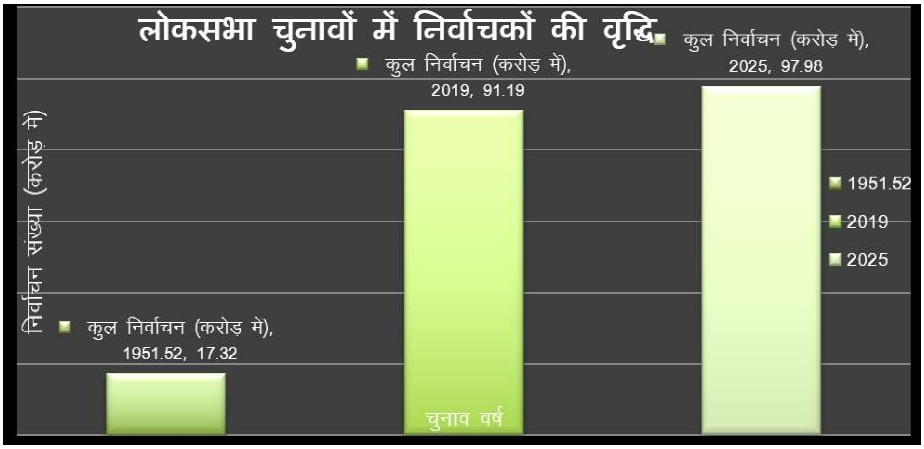
भारत में प्रथम आम चुनाव 1951–52 में आयोजित हुआ। उस समय लगभग 17.32 करोड़ निर्वाचक थे। 1957 में यह संख्या लगभग 19.37 करोड़ और 1962 में लगभग 21.64 करोड़ हो गई। 1967 में लगभग 25.02 करोड़ निर्वाचक थे। 1951–52 से 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में व्यापक समकालिकता देखी गई। बाद में विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के समयपूर्व विघटन ने इस चुनावी चक्र को बदल दिया।

2024 तक आते–आते भारतीय निर्वाचन व्यवस्था का आकार अत्यंत विशाल हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 2024 में कुल निर्वाचकों की संख्या लगभग 97.98 करोड़ थी तथा 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 10,52,664 मतदान केंद्र स्थापित किए गए।

तालिका 1: लोकसभा चुनावों में निर्वाचकों की वृद्धि

क्रमांक	चुनाव वर्ष	कुल निर्वाचक
01.	1951–52	17.32 करोड़
02.	1962	21.64 करोड़
03.	1967	25.02 करोड़
04.	1977	32.12 करोड़
05.	1984–85	लगभग 40 करोड़
06.	1989	49.89 करोड़
07.	1996	59.26 करोड़
08.	2004	67.15 करोड़
09.	2009	71.70 करोड़
10.	2014	83.41 करोड़
11.	2019	91.19 करोड़
12.	2024	97.98 करोड़

*(**Source:** Election Commission of India, An Atlas: Lok Sabha Elections 2024)*



*(**Source:** Election Commission of India, An Atlas: Lok Sabha Elections 2024)*

तालिका से स्पष्ट है कि 1951–52 से 2024 तक निर्वाचकों की संख्या लगभग 17.32 करोड़ से बढ़कर 97.98 करोड़ हो गई, अर्थात् भारतीय चुनावों का प्रशासनिक पैमाना कई गुना बढ़ चुका है।

मतदान सहभागिता का द्वितीयक आँकड़ो का विश्लेषण

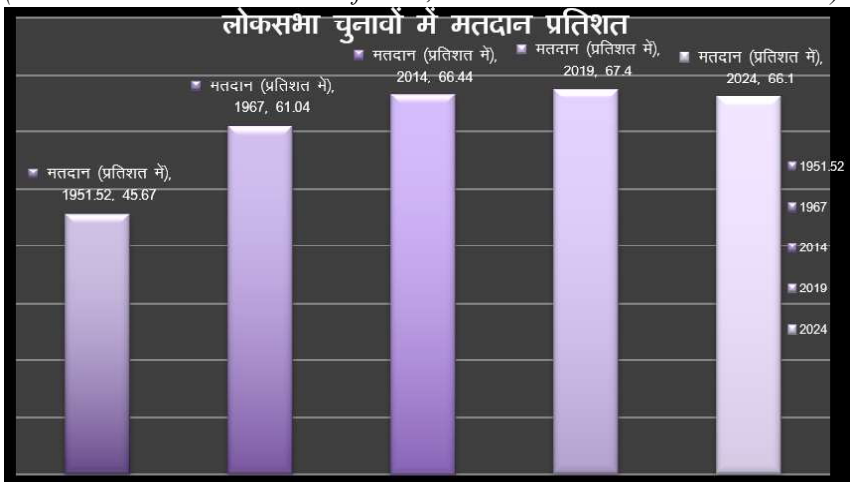
भारतीय लोकतंत्र में मतदाताओं की सहभागिता भी लगातार महत्वपूर्ण रही है। भारत निर्वाचन आयोग के आँकड़ों के अनुसार 1951–52 में मतदान प्रतिशत 45.67 था। 1967 में यह 61.04 प्रतिशत, 2014 में 66.44 प्रतिशत तथा 2019 में 67.40 प्रतिशत रहा। 2024 में मतदान प्रतिशत 66.10 दर्ज किया गया।

तालिका 2: लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत

क्रमांक	चुनाव वर्ष	मतदान प्रतिशत
01.	1951–52	45.67
02.	1957	47.74
03.	1962	55.42
04.	1967	61.04
05.	1971	55.27
06.	1977	60.49
07.	1980	56.92

08.	1984–85	64.01
09.	1989	61.95
10.	1991–92	55.88
11.	1996	57.94
12.	1998	61.97
13.	1999	59.99
14.	2004	58.07
15.	2009	58.21
16.	2014	66.44
17.	2019	67.40
18.	2024	66.10

*(**Source:** Election Commission of India, An Atlas: Lok Sabha Elections 2024)*



*(**Source:** Election Commission of India, An Atlas: Lok Sabha Elections 2024)*

इससे पता चलता है कि मतदाताओं की सहभागिता में दीर्घकालिक रूप से वृद्धि हुई है। एक साथ चुनाव की स्थिति में यह प्रश्न महत्वपूर्ण होगा कि क्या मतदाता लोकसभा और विधानसभा के लिए एक ही समय में मतदान करते हुए राष्ट्रीय एवं स्थानीय मुद्दों को अलग–अलग प्राथमिकता दे पाएगें।

चुनावी व्यवस्था का बढ़ता प्रशासनिक पैमाना

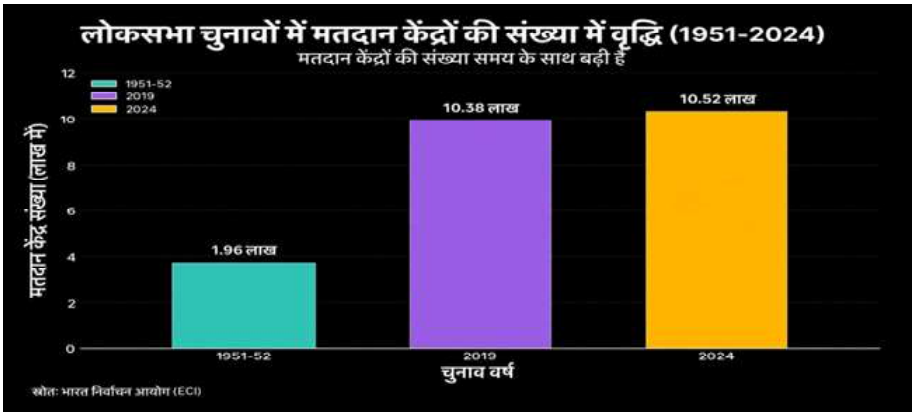
लोकसभा चुनावों में मतदान केंद्रों की संख्या भी समय के साथ बढ़ी है। 1951–52 में लगभग 1.96 लाख मतदान केंद्र थे, जबकि 2024 में 10.52 लाख से अधिक मतदान केंद्र हो गए।

तालिका 3: मतदान केंद्रों की वृद्धि

क्रमांक	चुनाव वर्ष	मतदान केंद्र
01.	1951–52	1,96,084
02.	1957	2,20,478
03.	1962	2,38,031
04.	1967	2,43,693
05.	1971	3,42,918
06.	1977	3,73,910
07.	1980	4,36,813
08.	1984–85	5,06,058
09.	1989	5,80,798

10.	1996	7,67,462
11.	2004	6,87,473
12.	2009	8,30,866
13.	2014	9,27,553
14.	2019	10,37,848
15.	2024	10,52,664

*(**Source:** Election Commission of India, An Atlas: Lok Sabha Elections 2024)*



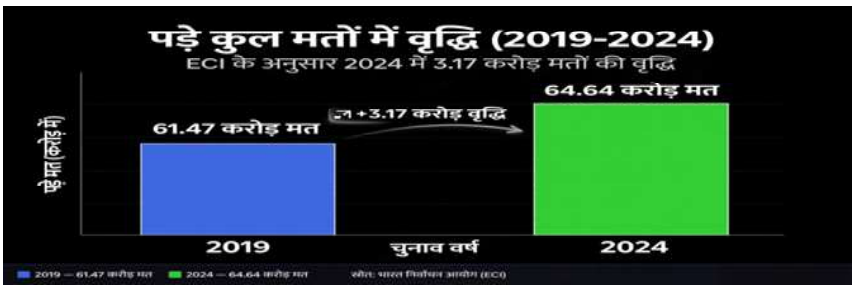
*(**Source:** Election Commission of India, An Atlas: Lok Sabha Elections 2024)*

यह आँकड़ा दर्शाता है कि चुनाव प्रबंधन अब अत्यंत व्यापक प्रशासनिक कार्य बन चुका है। यदि लोकसभा तथा सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएँ तो EVM/VVPAT, मतदान कर्मियों, सुरक्षा बलों, परिवहन, प्रशिक्षण तथा भंडारण की आवश्यकता एक साथ बढ़ेगी। अतः एक साथ चुनाव से कुछ संसाधनों की पुनरावृत्ति कम हो सकती है, लेकिन प्रारंभिक लॉजिस्टिक आवश्यकता बहुत बड़ी होगी।

2009–2024 के चुनावों का तुलनात्मक विश्लेषण

तालिका 4: निर्वाचक, पड़े मत और मतदान प्रतिशत

वर्ष	कुल निर्वाचक	कुल पड़े मत	मतदान प्रतिशत
2009	71.70 करोड़	41.73 करोड़	58.21
2014	83.41 करोड़	55.42 करोड़	66.44
2019	91.19 करोड़	61.47 करोड़	67.40
2024	97.98 करोड़	64.64 करोड़	66.10



*(**Source:** Election Commission of India, Atlas 2024)*

2009 से 2024 के बीच निर्वाचकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 2024 में 64.64 करोड़ मत पड़े, जबकि 2019 में 61.47 करोड़ मत पड़े थे। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 2024 में 2019 की तुलना में पड़े मतों में 3.17 करोड़ की वृद्धि हुई।

इस बढ़ते पैमाने को देखते हुए एक साथ चुनाव के समर्थकों का तर्क है कि यदि चुनावी प्रक्रिया को एक चक्र में समन्वित किया जाए तो प्रशासनिक संसाधनों के बार–बार इस्तेमाल को कम किया जा सकता है। हालांकि यह निष्कर्ष सीधे तौर पर इन आँकड़ों से सिद्ध नहीं होता, इसके लिए चुनावी व्यय और प्रशासनिक लागत का अलग तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है।

चुनावी व्यय और एक देश, एक चुनाव

चुनावी व्यय तथा एक देश, एक चुनाव के पक्ष में दिए जाने वाले प्रमुख तर्कों में से एक है। 2015 की संसदीय स्थायी समिति से संबंधित विवरण के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के अनुमान के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के संचालन पर सरकारी व्यय लगभग रुपये 4,500 करोड़ था। PRS के विश्लेषण के अनुसार यह 2015–16 के केंद्रीय बजट का लगभग 0.25 प्रतिशत था।

यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना आवश्यक है की सरकार द्वारा चुनाव कराने की लागत और राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार में किए गये कुल खर्च अलग–अलग अवधारणाएँ हैं इसलिए एक देश, एक चुनाव से "कुल चुनावी खर्च निश्चित रूप से इतना कम हो जाएगा" कहना उपलब्ध आधिकारिक आँकड़ों के आधार पर उचित नहीं होगा। भारत निर्वाचन आयोग के पास 2014–2023 के चुनाव व्यय संबंधी रिपोर्टों का अलग डेटाबेस उपलब्ध है। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत कुल रुपये 10,106.20 करोड़ की जब्ती रिपोर्ट की गई, जो 2019 की तुलना में 290 प्रतिशत अधिक थी। यह चुनावों में धन एवं अन्य प्रलोभनों की निगरानी के महत्व को दर्शाता है।

एक देश, एक चुनाव की प्रमुख संभावनाएँ

1. **प्रशासनिक संसाधनों की बचतः** वर्तमान चुनावी व्यवस्था में चुनाव आयोग, जिला प्रशासन, पुलिस तथा सरकारी कर्मचारियों को अलग–अलग चुनावों में बार–बार ड्यूटी लगाई जाती है। एक साथ चुनाव होने पर प्रशिक्षण, परिवहन, सुरक्षा योजना तथा चुनावी तैयारीयों को एकीकृत करने की अधिक संभावना होगी।
2. **आदर्श आचार संहिता का प्रभावः** बार–बार चुनाव होने पर अलग–अलग राज्यों एवं क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू होती रहती है। इसके कारण सरकारों के नए नीतिगत निर्णयों और कुछ विकासात्मक गतिविधियों पर इसका प्रभाव पड़ता रहता है। उच्च स्तरीय समिति एवं प्रशासन पर संभावित व्यवधान को एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में चिन्हित किया गया है।
3. **राजनीतिक स्थिरताः** एक साथ चुनाव का एक संभावित लाभ यह हो सकता है कि सरकारें लगातार चुनावी गतिविधियों के बजाय दीर्घकालिक शासन एवं नीतियों पर अधिक ध्यान दे सकें। उच्च स्तरीय समिति ने भी governance stability एवं policy disruption में कमी को एक साथ चुनाव के संभावित लाभों में रखा है।
4. **चुनावी प्रक्रिया का समन्वयः** एक साथ चुनाव से निर्वाचन कार्यक्रम को अधिक पूर्वानुमेय बनाया जा सकता है। इससे राजनीतिक दलों, प्रशासन तथा मतदाताओं को चुनावी कैलेंडर के संबंध में स्पष्टता मिल सकती है।

एक देश, एक चुनाव की प्रमुख चुनौतियाँ

1. **संवैधानिक चुनौतीः** एक साथ चुनाव कराने के लिए मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक होगा। 2024 में प्रस्तुत 129वाँ संविधान संशोधन विधेयक में नया अनुच्छेद 82A जोड़ने तथा अनुच्छेद 83, 172 और 327 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया।
2. **विधानसभा के समयपूर्व विघटन की समस्याः** यदि किसी राज्य की विधानसभा पाँच वर्ष पूरे होने से पहले भंग हो जाती है तो एक साथ चुनाव का चक्र टूट सकता है। प्रस्तावित विधेयक में ऐसी स्थिति में शेष अवधि के लिए चुनाव कराने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इससे निर्वाचित सरकार की सामान्य पाँच–वर्षीय अवधि और समकालिक चुनाव के बीच संतुलन का प्रश्न उत्पन्न होता है।
3. **संघीय ढाँचे पर प्रभावः** भारत में राज्य सरकारें अपने–अपने राज्य के मुद्दों के आधार पर निर्वाचित होती हैं। एक साथ चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दे राज्य चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं। इससे क्षेत्रीय दलों के लिए राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का स्वरूप बदलने की आशंका व्यक्त की जाती है।
4. **क्षेत्रीय मुद्दों की उपेक्षाः** लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और केंद्र सरकार का प्रदर्शन प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में रोजगार, कृषि, स्थानीय प्रशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे राज्य–विशिष्ट मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों चुनाव एक साथ होने पर मतदाता दोनों स्तरों के मुद्दों को किस प्रकार अलग–अलग महत्व देगा, यह महत्वपूर्ण शोध प्रश्न है।

5. **चुनाव आयोग की लॉजिस्टिक क्षमता:** 2024 में अकेले लोकसभा चुनाव के लिए 10,52,664 मतदान केंद्र थे। यदि लोकसभा के साथ सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव आयोजित होते हैं, तो EVM/VVPAT, सुरक्षा बल, मतदान कर्मी, परिवहन एवं भंडारण की आवश्यकताएँ बढ़ेंगी इसलिए चुनाव आयोग को पर्याप्त संख्या में मशीनों और मानव संसाधन की व्यवस्था पहले से करनी होगी।
6. **राजनीतिक सहमति:** एक देश, एक चुनाव केवल कानूनी संशोधन का प्रश्न नहीं है। इसके लिए केंद्र, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों तथा अन्य हितधारकों के बीच व्यापक सहमति आवश्यक होगी।

2024 का संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव

17 दिसंबर 2024 को 129वाँ संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने के लिए संवैधानिक ढाँचा तैयार करना था। विधेयक में अनुच्छेद 82। जोड़ने तथा अनुच्छेद 83, 172 और 327 में संशोधन का प्रस्ताव था।

PRS के अनुसार विधेयक में यह व्यवस्था प्रस्तावित की गई कि लोकसभा के सामान्य चुनाव के बाद राष्ट्रपति एक निर्धारित "appointed date" अधिसूचित कर सकते हैं और उस तिथि के बाद गठित राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पाँच–वर्षीय कार्यकाल के साथ समाप्त हो। यदि लोकसभा या विधानसभा समयपूर्व भंग होती है, तो उसके लिए शेष अवधि के लिए चुनाव कराने की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। इस प्रकार प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य चुनावी चक्र को पुनः समकालिक बनाना है, लेकिन इसके साथ कई संवैधानिक एवं राजनीतिक प्रश्न भी जुड़े हैं।

निष्कर्ष

उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारतीय निर्वाचन व्यवस्था का आकार 1951–52 से वर्तमान समय तक अत्यधिक विस्तृत हो चुका है। 1951–52 में जहाँ लगभग 17.32 करोड़ निर्वाचक थे, वहीं 2024 में यह संख्या लगभग 97.98 करोड़ हो गई। मतदान केंद्रों की संख्या भी लगभग 1.96 लाख से बढ़कर 10.52 लाख से अधिक हो गई। एक देश, एक चुनाव की अवधारणा का सबसे महत्वपूर्ण आधार चुनावों की बारंबारता को कम करना, प्रशासनिक संसाधनों का समन्वित उपयोग करना और संघीय एवं राज्य शासन में निरंतरता बनाए रखना है। इसके संभावित लाभों में चुनावी प्रक्रिया का पूर्वानुमेय होना, प्रशासनिक मशीनरी की बार–बार तैनाती में कमी तथा आदर्श आचार संहिता के कारण होने वाले व्यवधान को कम करना शामिल हो सकता है। दूसरी ओर, इसकी सबसे बड़ी चुनौतियाँ संवैधानिक संशोधन, विधानसभा एवं लोकसभा के समयपूर्व विघटन, संघीय ढाँचे, क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक भूमिका, चुनाव आयोग की लॉजिस्टिक क्षमता तथा राष्ट्रीय एवं राज्यीय मुद्दों के बीच संतुलन से संबंधित हैं।

अतः एक देश, एक चुनाव को केवल "एक तारीख पर चुनाव" के रूप में देखना उचित नहीं होगा। यह भारत की संसदीय लोकतांत्रिक एवं संघीय व्यवस्था में व्यापक चुनावी सुधार का विषय है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए संवैधानिक स्पष्टता, राजनीतिक सहमति, पर्याप्त वित्तीय संसाधन, EVM/VVPAT एवं मानव संसाधन की उपलब्धता तथा राज्यों की सहमति अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।

सुझाव

1. एक साथ चुनाव पद्धति लागू करने से पहले व्यापक राजनीतिक एवं संवैधानिक सहमति विकसित की जाए।
2. लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के लिए स्पष्ट संवैधानिक समय–चक्र बनाया जाए।
3. समयपूर्व सरकार गिरने की स्थिति के लिए स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था हो।
4. निर्वाचन आयोग की EVM/VVPAT, मानव संसाधन और सुरक्षा संबंधी क्षमता का विस्तार किया जाए।
5. राष्ट्रीय एवं राज्यीय मुद्दों की स्वतंत्र राजनीतिक अभिव्यक्ति सुनिश्चित की जाए।
6. क्षेत्रीय दलों के लिए समान राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाया जाए।
7. चुनावी व्यय के संबंध में पारदर्शी एवं तुलनात्मक डेटा सार्वजनिक किया जाए।
8. एक साथ चुनाव लागू करने से पहले कुछ राज्यों में चरणबद्ध या पायलट व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. Austin, G. (1999). *Working A democratic constitution: The Indian experience.* Oxford University Press, New Delhi, p. 50-78.
2. Basu, D. D. (2022). *Introduction to the Constitution of India.* (26th ed.), LexisNexis, New Delhi, p. 34-60.
3. Dutt, V. P. (2008). *India's foreign policy,* Vikas Publishing House, New Delhi, p. 210-235.
4. Election Commission of India. (2014). General elections to Lok Sabha 2014: Statistical report. Election Commission of India, New Delhi, p. 6-28.
5. Election Commission of India. (2019). General elections to Lok Sabha 2019: Statistical report. Election Commission of India, New Delhi, p. 8-30.
6. Election Commission of India. (2021). *Atlas: General election to Lok Sabha 2019.* Election Commission of India, New Delhi, p. 20-58.
7. Election Commission of India. (2024). *Election expenditure and seizure management during General Elections 2024.* Election Commission of India, New Delhi, p. 30-55.
8. Election Commission of India. (2024). Expenditure reports: Lok Sabha 2024. Election Commission of India, New Delhi, p. 18-42.
9. Election Commission of India. (2024). General elections to Lok Sabha 2024: Statistical reports. Election Commission of India, New Delhi, Vol. 1, p. 10-35.
10. Election Commission of India. (2025). *An Atlas: Lok Sabha elections 2024.* Election Commission of India, New Delhi, p. 12-45. https://www.eci.gov.in, Accessed on 05/06/2026.
11. Election Commission of India. (2025). *Electoral statistics at A glance: Lok Sabha elections 2024.* Election Commission of India, New Delhi, p. 5-22.
12. Election Commission of India. (2026). *Electoral statistics pocket books 2026.* Election Commission of India, New Delhi, p. 1-15.
13. Fadia, B. L. & Fadia, K. (2018). *Indian Government and politics.* (15th ed.) Sahitya Bhawan, Agra, p. 402-450.
14. Government of India. (1950). *The Constitution of India.*Ministry of LawAnd Justice, New Delhi, p. 1-25.
15. Government of India. (1951). *The Representation of the People Act, 1951* (Act No. 43 of 1951) Ministry of LawAnd Justice, New Delhi, p. 5-18.
16. Government of India. (2024). The Constitution (One Hundred and Twenty-ninth Amendment) Bill, 2024 (Bill No. 183 of 2024) Lok Sabha, Parliament of India, New Delhi, p. 1-8.
17. High-Level Committee on Simultaneous Elections. (2024). Report of the High-Level Committee on Simultaneous Elections. Government of India, New Delhi, p. 45-90.
18. Kashyap, S. C. (2019). *Our political system.* National Book Trust, New Delhi, p. 88-110.
19. Kothari, R. (1970). *Politics in India.* Orient Longman, New Delhi, p. 105-130.
20. Law Commission of India. (1999). Reform of the electoral laws: 170th report. Government of India, New Delhi, p. 22-65.
21. Law Commission of India. (2015). Electoral reforms: 255th report. Government of India, New Delhi, p. 110-145.
22. Ministry of Law and Justice. (2024). *The Constitution* (129th Amendment) Bill, 2024. Government of India, New Delhi, p. 2-10.
23. Parliament of India. (2024). Parliamentary questions and Answers concerning simultaneous elections. Lok Sabha Secretariat, New Delhi, p. 1-5.
24. PRS Legislative Research. (2024). *The Constitution* (129th Amendment) Bill, 2024: Simultaneous elections/ One Nation One Election. PRS, New Delhi, p. 3-12.
25. Rudolph, L. I. & Rudolph, S. H. (1987). *In pursuit of Lakshmi: The political economy of the Indian state.* University of Chicago Press, Chicago, p. 15-40.

——==00==——